GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS) 8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(12)/LA-2011/

Dated the December, 2011

To

The Special Secretary (GAD). General Administration Department, Government of NCT of Delhi 2nd Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi.

Sub: Gazette Extraordinary Notification of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 (Delhi Act 12 of 2011)

Sir.

I am directed to forward herewith two copies of the subject cited notification (English and Hindi versions) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV)-Extra-Ordinary today itself. It is requested that at least 10 Gazette copies of the same may be sent to this Department as soon as received from the press.

Yours faithfully.

Encl: As above

(Tarun Sahrawat) Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

No. F.14(12)/LA-2011/ Claw /261-70

Dated the SDecember, 2011

Copy, together with the copy of enclosures, forwarded for information and necessary action

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-110001 (with 5 copies).

2. The Joint Secretary & Legislative Counsel, Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department (Correction Cell), Shastri Bhawan, New Delhi-110001 (with 2 copies).

3. The Pr. Secretary to Lieutenant Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054.

- 4. The Pr. Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
- 5. The Pr. Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
- The Secretary to Minister of Urban Development, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
- 7. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
- 8. The Secretary (LA), Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-
- 9. The Deputy Secretary (Admn.), Law, Justice and Legislative Affairs, Govt. of NCT of Delhi with the request to upload a copy of the this Act on Department's website.

(Tarun Sahrawat)

Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS) 8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(12)/LA-2011/Wew/260

Dated the 29 December, 2011

NOTIFICATION

No.F.14(12)/LA-2011/ - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 23rd December, 2011 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2011 (DELHI ACT 12 OF 2011)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delni on the 1st December, 2011)

[23rd December, 2011]

Further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

 Short title and commencement. – (1) This Act may be called the Doihi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011.

(2. It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

- 2. General. In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (hereinafter referred to as-Lias-"principal Act" -
 - (a) for the words "The Corporation" or "the Corporation", wherever they occur, the words "A Corporation" every Corporation", "each Corporation", or "Corporations", as the case may be, shall be substituted;
 - (b) for the words "Central Government" wherever occurring in different sections, the word "Government" shall be substituted except in sections 2(43), 2(51), 3(6), 9(1)(g), 22 (8), 31, 54, 90(8), 96 (c), 106, 185, 195 (1), proviso to 195 (2), 485, 486, 487, 488 and 490, 490A₈
 - (c) for the word "Delhi" wherever occurring in sections 3(6), 36, 39, 41, 43, 70, 109, 147 (1), 298, 301, 355, 394, 399, and 481, the words "the area of the Corporation" shall be substituted;

and there shall also be made in any sentence in which those words occur such changes as the rules of grammar require.

1

- 3. Amendment of section 2. In the principal Act, in section 2, -
 - (a) for clause (6), the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(6) "Commissioner" means the Commissioner of a Corporation;";
 - (b) for clause (7), the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(7) "Corporation" means a Corporation established under this Act;";
 - (c) in clause (51), after the words "Central Government", the words "and the Government" shall be inserted.
- Substitution of new heading for the heading of Chapter II. In the principal Act, for the heading of Chapter II, the following heading shall be substituted, namely: -

"ESTABLISHMENT OF CORPORATIONS".

5. Substitution of new sub-heading for the sub-heading of Chapter II. — In the principal Act, for the sub-heading of Chapter II, the following sub-heading shall be substituted, namely:

"Constitution of Corporations".



- 6. Amendment of section 3. In the principal Act, in section 3,-
 - (a) for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted, namely: -
 - "(1) The Government shall, by notification in the official Gazette, establish for the purposes of this Act, three Corporations charged with the municipal government of Delhi.
 - (1A) The name, area and limits of the three corporations established under subsection (1) shall be as per the fourteenth schedule;
 - (b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely: -
 - " (2) Every Corporation so established shall be a body corporate with name duly notified by the Government having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and may by the said name sue and be sued."
 - (c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely: -

ay.

"(5) The total number of seats of councilors and the number of seats reserved for the members of the Scheduled Castes in each Corporation, shall, at the time of establishment of such Corporation, be as determined by the Government by notification in the official Gazette";

- (d) In sub-section (6), -
 - (i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that the total number of seats in all the Corporations in Delhi shall in no case be more than two hundred and seventy two and the number of seats in each Corporation shall be determined by the Government at the time of establishment of such Corporations:";

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided also that for the first election to the Corporations to be held immediately after the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, the population figures of every such Corporation as published in relation to 2001 census shall be deemed to be the population thereof as ascertained in that census.";

- (e) in sub-section (7), -
 - (i) for the words "Central Government", the word "Government" shall be substituted.
 - (ii) for the words "one-third", the words "one-half" shall be substituted.
- (f) in sub-section (8), -
 - (iii) for the words "Central Government" wherever occurring, the word "Government" shall be substituted;
 - (iv) for the words "one-third", the words "one-half" shall be substituted.
- 7. Substitution of new section for section 3A. In the principal Act, for section 3A, the following section shall be substituted, namely: -
 - "3A. Division of the area of a Corporation into zones and wards. (1) The area of every Corporation shall be divided into a number of zones and each zone into a number of wards as specified in the Fourteenth Schedule.
 - (2) The Government may, by notification in the official Gazette, alter the number or the name, and increase or diminish the area of any zone or ward specified in the Fourteenth Schedule."

44

- 8. Amendment of section 5. In the principal Act, in section 5,-
 - (a) in sub-section (1), -
 - (i) for the word "Delhi" occurring after the word "councilors," and before the word "shall", the words "the area of a Corporation" shall be substituted;
 - (ii) for the word "Delhi" occurring at the end thereof, the words "the area of that Corporation" shall be substituted;
 - (b) in sub-section (2), for the words "Central Government", the word "Government" shall be substituted.
- 9. Amendment of section 6. In the principal Act, in section 6, for the opening phrase "The Corporation, with the previous approval of the Central Government,", the following phrase shall be substituted, namely: -

"A Corporation, with the previous approval of the Government,".

- iO. Amendment of section 52. in the principal Act, in section 52 in sub-section (2), for the opening phrase "The Central Government may, after consultation with the Government", the words "The Government may" shall be substituted.
- Amendment of section 69. In the principal Act, in section 69, the word "Delhi" shall be omitted.
- 12. Insertion of new section 90A In the principal Act, after section 90, the following section shall be inserted, namely :
 - *90A. Certain officers and employees of the erstwhile corporation to become officers and employees of respective corporations
 - (1) On the establishment of the Corporations under sub-section (1) of section 3-
 - (a) the officers and employees of the erstwhile Corporation at the ward and zonal level shall become officers and employees of the respective new Corporations
 - (b) the officers and employees of the erstwhile Corporation, other than those covered under clause (a), shall be divided amongst the new Corporations by the Director of Local Bodies in consultation with the Commissioner of the erstwhile Corporation

4

13. Amendment of section 99. — In the principal Act, in section 99, in sub-section (1), in the concluding phrase thereof, for the words and brackets "the Municipal Fund of Delhi (hereafter in this Act referred to as "the Municipal Fund")", the following words and brackets shall be substituted, namely:

"by the name of the area of the Corporation as specified by the Government under sub-section (1A) of section 3 (hereinafter in this Act referred to as "the Municipal Fund")".

14. Substitution of section 100.- In the principal Act, for section 100, the following section shall be substituted, namely: -

"100. Municipal Fund to be kept in the State Bank of India. — All moneys payable to the credit of the Municipal Fund in the General Account shall be received by the Commissioner of each Corporation and shall be forthwith paid into the State Bank of India to the credit of the said Account which shall be entitled "The General Account of the Municipal Fund of the Corporation."

15. Amendment of section 203. - In the principal Act, in section 203, after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :-

† (3) The contracts already made in accordance with the provisions of the the bye-laws made thereunder prior to the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 shall be deemed to have been executed on behalf of the respective Corporations constituted under sub-section (1) of section 3 by the Commissioner until the expiry of the validity of the period of the contract.

16. Amendment of section 298. - In the principal Act, in section 298 for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) All streets within the jurisdiction of each Corporation constituted under sub-section (1) of section 3 of the this Act which are or at any time become public streets, and the pavements, stones and other materials thereof shall vest in such Corporation:

"provided that no public street which immediately before the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 vested in the Union, shall, unless the Central Government with the consent of the concerned Corporation so directs, vest in such Corporation by virtue of this sub-section,"

- 17. Amendment of section 479. In the principal Act, in section 479, -
- [4] in sub-section (2), for the words "Every rule made under this Act, every notification issued under sub-section (2) of section 3A and sub-section (2) of section 52 and byelaws made by the Central Government under section 349A", the words "Every rule made under clause (8) of section 22 and section 31" shall be substituted.
- (b) after sub-section(2), the following section shall be inserted, namely: -

"(3).- Every rule made under this Act, except rules made under section 22(8) and section 31 of this Act, every notification issued under sub-section (2) of section 3A and sub-section (2) of section 52 and bye-law made by the Government under section 349A shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, bye-laws or notification or the Legislative Assembly agrees that the rule or bye-laws or notification should not be made or issued, the rule or bye-laws or notification should not be made or issued, the rule or bye-laws or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or bye-law or notification."

18. Substitution of new section for section 481A. – In the principal Act, for section 481A, the following section shall be substituted, namely: -

"481A. Regulations and bye-laws to be laid before Legislative Assembly of Delhi. —
The Government shall cause every regulation made under this Act and every bye-law made under section 481 to be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the regulation or bye-law or the Legislative Assembly agrees that the regulation or bye-law should not be made or issued, the regulation or bye-law shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation or bye-law."

- Insertion of new section 484A. In the principal Act, in Chapter XXIV, after the heading thereof, and before section 485, the following section shall be inserted, namely: -
- "484A. (1) Director of Local Bodies The Government shall appoint a Director of Local Bodies to assist the Government and discharge functions including
 - to coordinate the functions of the Corporations in respect of the common facilities and services that are under the control and management of the Corporation in whose area they are located;
 - (ii) to decide, in the interim, the utilization of various assets and discharge of liabilities by the Corporations;
 - (iii) to frame the recruitment rules for various posts;
 - to resolve the functional and administrative anomalies or difficulties arising, if any, after constitution of the three corporations in consultation with the Commissioner(s) thereof;
 - (v) to coordinate the collection and sharing of Toll Tax from Toll centres / gates that are under the control of respective Corporations in which they are located on the basis of such principles as may be prescribed.
- (2) The Director of Local Bodies shall exercise such powers of the Government in relation to the affairs of the Corporations (not being power under sections 487 to 490), as the Government may, by notification in the official Gazette and subject to the conditions and restrictions (including the condition of review by itself), specify in the notification.
- (3) The terms and conditions of service and the tenure of office of the Director of Local Bodies shall be such as the Government may, by rules, prescribe.
- (4) The Government shall make available to the Director of Local Bodies such staff as the Government considers necessary for the exercise of the powers conferred on him under subsection (2)
- 20. Insertion of new section 4908. In the principal Act, after section 490A, the following section shall be inserted, namely: -

_7-

"490B.- Delegation of power by the Government. — The Government may, by notification in the official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act hall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable by any of its officers or by Commissioner or by any other authority."

- 21 . Insertion of new section 514 B. In the principal Act, after section 514 A , the following section shall be inserted,:
- " 514-8. Overriding effect of the provisions of the Delhi Development Act, 1957.- Notwithstanding anything contained in this Act, in case of any repugnancy between the provisions of this Act and the provisions of the Delhi Development Act, 1957, the provisions of the Delhi Development Act, 1957 is the provisions of the Delhi Development Act, 1957.
- 22. Substitution of Fourteenth Schedule. In the principal Act, for the Fourteenth Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

THE FOURTEENTH SCHEDULE

(See section 3A)

THE NAME, AREAS AND LIMITS OF CORPORATIONS

S.No.	Name of the Corporations	Ward No.	Name of the ward	Name of the zone
1.	North Delhi Municipal Corporation	1	Narela	
		2	Bankner	
		3		Narela
		4	Alipur	
		5	Bakhtawar Pur	
			Bhalswa Jahangir Purl	
		6	Mukund Pur	
		7	Burari	
		- 8	Jharoda	
100		9	Malka Gan	
-		10	Timer Pur	-
		11	Mukherjee Nagar	
		12	G.T.B. Nagar	-
		13	Ohir Pur	Civil Lines
-		14	Adarsh Nagar	- Similar
-		15	Sarai Pipai Thela	-
-		16	Jahangir Puri-I	-
_		17	Samaypur Badii	-
		18	Libas Pur	
		19		
		20	Bhalswa	
		21	Jahangir Puri-II	
		22	Rohini	
9Ħ		146	Rithala	

R

	1.00	I Post Vin		
i i	23			7
	25			N/
	26	Sahibabad Dault Pur		
	27	Begampur Begampur		
	28	Bawana	Narela	
	29	Kerala	restera	
	30	Mundaka		-
	31	Nangloi Jat West	Najafgarh	
	32	Nilothi	Narela	-
	33	Pralap Nagar	10000	
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	34	Nithari		
	35	Kirai Suleman Nagar		
The second second	37	Prem Nagar Sultanpuri East	-	
	38	Mangol Puri North	Rohini	
	39	Sultanpur Majra		
	40	Sultannuri Smith		1 235
	41	Guru Harikishan Nagar		
	42	Peeragarhi		
	43	Nangloi East	West	
	44	Quammruddin Nagar		
The state of the s	45 46	Rohini South		
	47	Mangolpuri East Mangolpuri	Rohini	
	48	Mangolpuri West		
	49	Rohini North		
-1	50	Rohini Central		
	51	Robini Foot		
	52	Naharpur	Rohini	1 3
	53	Pitampura South		
	54	Pitampura North		
	55 56	Shalimar Bagh North		
	57	Shalimar Bath South		
	58	Paschim Vihar South		
	59	Paschim Vihar North Rani Bagh	West	
	60	Saraswali Vihar		
	61	Tri Neger		
	62	Rampura		
	63	Kohat Enclave		1
	64	Shakur Pür	Rohini	
	65	Nimri Colony		18
	66	Sawan Park		
	67	Wazirpur		2
	69	Ashok Vihar	La V	2
	70	Kamia Nagar Rana Partap Bagh	(1)	/
	71	Sangam Park	-	
	72	Model Town	Civil Lines	
	73	Shastri Nanar	0.07	
	74	Inder Lok Colony	S.P.Zone	
	75	Kishan Gani	Karol Back Tone	
	76	Deputy Ganj	Karol Bagh Zone	
	77	Kashmere Gale		
	78	Majnu Ka Tila	Civil Lines	
	79	Jama Masjid		
	80	Chandni Chowk	1000	
	82	Minto Road	City	
	83	Kucha Pandit	10	
	84	Bazear Sita Ram Turkman Gate		
	85	Idgah Road		
	86		S. P. Zone	
	87	Ballmaran Ram Nager	City	
	88	Qasabpura	S.P. Zone	
	89	Pahargani		
	90	Model Basti 4	100	
	91	Karol Bagh		
	92	Dev Nagar	Karol Bank W	
	93	Baljil Nagar	Karol Bagh Zone	
-9-	-	Duljii Nagai /		

		94	West Patel Nagar	
		95	East Palel Nagar	Karol Bagh Zone
		96	New Ranjit Nagar	The Control of the Co
		97	Kirti Negar Mansarovar Garden	
-4		98	Moli Nagar	West
		100	Karam Pura	
		149	Rajinder Nagar	
		150	Pusa	
		151	Inderpuri	Karol Bagh Zone
		152	Naraina	
Soul	th Delhi Municipal Corporation	101	Raja Garden	
		103	Raghubir Nagar Punjabi Bagh	
		104	Madipur	
		105	Rajouri Garden	West
		106	Tagore Garden	
		107	Vishnu Garden	
_		108	Khyala	
		109	Janek Puri North Nengel Raya	
		111	Hari Nagar	
	and the same of th	112	Subash Nagar	
		113	Mahavir Nagar	
		114	Tilak Nagar	222000
		115	Major Bhupinder Singh Nagar	West
		116	Vikaspuri East	
		117	Janakpuri West	
		118	Janakpuri South Milap Nagar	
		120	Sitepuri	Najafgarh
		121	Kanwar Singh Nagar	redeigner
		122	Hastsal	West
		123	Vikaspuri	
		124	Vikas Nagar	
		125	Mohan Garden	
L		126	Nawada	West
3		127	Utlam Nagar	
-		128	Bindapur Debri	
-		130	Manglapuri	
		131	Sagarpur	
		132	Sagarpur West	
		133	Chhawla	
		134	Nangli Sakravati	Najafgarh
		135	Kakraula '	
		136	Mataia	-
_		137	Roshanpura	(
-		138	Najafgarh	10
-		139	Dichaon Kalan	1
		141	Khera Bijwasan	
		142	Raj Nagar	
		143	Kapashera	
		144	Mahipalpur	Najafgarh
		145	Pelam	100000000000000000000000000000000000000
		146	Sadh Nagar	
		147	Mahavir Enclave	
		148	Madhu Vihar	
_		153	Darya Ganj	Carrier 1
-		154	Nizamuddin	City
-		155	Lajpat Nagar	
		156 157	Bhogal Kashurha Napar	Central
		158	Kasturba Nagar Kotla Mubarakpur	Contrar
		159	Andrews Ganj	
-		160	Amar Colony	
		161	Malviya Nagar	
		162	Village Hauz Rani	
		163	Saldargunj Enclave	
-		164	Hauz Khas	
		165	Vasant Vihar	
			Nu Nu	

		166	Municka	South	
		167	R.K.Puram		
		168	Nanak Pura Lado Sarai		
		170	Mehrauli		
-		171	Vasant Kun	C	
-		172	Kishangarh	Najafgarh	
-		173	Said ul Ajaib		
-		174	Chhalarpur		
		175	Aya Nagar		
		176	Bhali		
		177	Sengem Vihar	South	
-		178	Deoli		
		179	Tigri	-	
		180	Dakshin Puri Exin.		
		181	Khanpur Ambedkar Nagar		
		183	Madangir		
		184	Pushp Vihar		
_		185	Tuglakabad Extr.		
		186	Sangam Vihar West	12001000	
-		187	Sangam Vihar Central	Central	
		188	Sengam Vihar East		
		189	Chiragh Delhi	South	
	Control of the last of the las	190	Chittaranjan Park	Central	
		191	Shahput Jat	South	
		192	Greater Kallash-I		
		193	Sriniwas Puri		
		194	East of Kailash		
		195	Govind Puri		
		196	Kalkaji Tughlakabad		
		197	Pul Pehlad		
		199	Teh Khand		
		200	Harkeshnagar		
-		201	Jaipur	Central	
-		202	Meelha Pur		
-		203	Badarpur		
-		204	Molarband		
		205	Zakir Nager		
-		206	Okhia		
		207	Madanpur Khadar		
		208	Sarita Vihar		
3.	East Delhi Municipal Corporation	209	Mayor Vihar Ph-I		
		210	Dallupura Trilok Puri	_	
		211	New Ashok Nagar		
		213	Kalyan Puri	The same of the sa	
_		214	Khichripur	Shahdara South	
-		215	Kondi		
		215	Gharoli		
		217	Vinod Nagar		
-		218	Mandawali	/ 6	
		219	Mayur Vihar Ph-II	(-1/2)	
-		220	Pelpargani	(0)	ji .
		221	Kishan Kunj		
-		222	Laxmi Nagar		
		223	Shakarpur		
13		224	Pandav Nagar		
		225	Anand Vihar		
		226	Vishwash Nagar		
		227	I.P.Extension	Shahdara South	
		228	Prest Vihar		
		229	Krishna Nagar		
10		230	Geeta Golony		
		231	Ghondi		
		232	Anarkeli Dhera Ours		
		233	Dhara Pura		
		234	Gandhi Nagari Azad Nagar		
		235			9
		236	Ragriousi Puri		
		237	Shahadara D		

	238	Jhilmil	
	239	Vivek Vinar	-
	240	Dishad Colony	
	241	Dishad Garden	
- 18 mm	242	New Seema Puri	
	243	Nand Nagri	
	244	Sunder Nagri	
	245	Durga Puri	
	246	Ashok Nager	Shahdara North
	247	Ram Nayali	- Carlotte Committee
	248	Welcome Colony	
	249	Chauhan Bangar .	
	250	Zalfrabad	
	251	New Usmanpur	
	252	Maul Pur	
	253	Bhajanpura	
	254	Brahampurl	
	255	Ghonda	
	256	Yamuna Vihar	
	257	Subbash Mohalia	
	258	Kardampuri	
	259	Janta Colony	
The second second	260	Babarpur	
	281	Jiwanpur	
	262	Gokalpur	
	263	Saboli	
	264	Harsh Vihar	Shahdara North
	265	Shiv Vilher	
	286	Karawai Nagar East	
	267	Nehru Vihar	[]=1
	268	Musia/abad	VICI
	269	Khajoorl Khas	
	270	Tukhim Pur	-
	271	Karawal Nagar West	
	272	Sonia Vihar	

(Tarun Sahrawat) Addi. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विशाग) क्वॉ तल, सी—विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली —110002

नं0 फा0 14(12)/एलए-2011/Waw/260

दिनांक 29 दिसम्बर, 2011

अधिसूचन

संठ काठ 14(12)/एलए-2011/८००/२६० - भारत की राष्ट्रपति की दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसमा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण की सचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

"विल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 12)

(01 दिसन्बर, 2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[23 दिसम्बर, 2011]

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ. (1) इस अधिनियम का नाम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाए।
- यह प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रयृत्त होगा।

बशतें कि इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकती है और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के लिए किसी ऐसे उपबंध में किसी उल्लेख को उस उपबंध के प्रवृत्त होने के लिये एक उल्लेख के रूप में मान लिया जायेगा।

- 2. सामान्य :- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में (इसके पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित-
- (क) "निगम" अथवा "निगम" शब्द जहां भी आए है के स्थान पर "कोई निगम", "प्रत्येक निगम", "हर एक निगम" या "निगमों", जैसी भी स्थिति हो, शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा:

-1 -

- (ख) विभिन्न धाराओं में आए शब्दों "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर धारा 2(43), 2(51), 3 (6), 9(1)(जी),
 22(8), 31, 54, 90(8), 96(ग), 106, 185, 195(1), परन्तुक से 195(2), 485, 486, 487, 488 तथा
 490, 490क धाराओं को छोड़कर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - (ग) धारा 3 (6), 36, 39, 41, 43, 70, 109, 147(1), 298, 301, 355, 394, 399 तथा 481 में आए शब्द के स्थान पर "निगम का क्षेत्र" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा.

तथा यह किसी वाक्य में भी किया जाएगा जिसमें ये शब्द ऐसे परिवर्तनों के साथ आते हैं जैसा व्याकरण के नियम अपेक्षा करते हैं।

- 3. धारा 2 का संशोधन:-- मूल अधिनियम की धारा 2 में.--
- (क) खंड (6), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् "(6) "आयुक्त" का अर्थ निगमायुक्त से हैं,";
- (ख) खंड (7), के स्थान पर निम्निलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा. अर्थात :-"(7) "निगम" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम से हैं,";
- (ग) खंड (51) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात "तथा सरकार" शब्दों को सिन्निविष्ट किया जायेगा।
- मूल अधिनियम में अध्याय—II, के शीर्षक के स्थान पर नये शीर्षक का प्रतिस्थापन अध्याय—II,
 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात —

"निगमां की स्थापना"

9 ~ 3

 मूल अधिनियम में अध्याय—II, के उप—शीर्षक के स्थान पर नये उप—शीर्षक का प्रतिस्थापन — अध्याय— II, के उप—शीर्षक के स्थान पर निम्निलखित उप—शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

"निगमों का गठन

- 6. धारा 3 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 3 में.-
- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात-
 - "(1) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिल्ली की नगर निगम सरकार के दायित्वों का निर्वहन करने वाली तीन निगमों की स्थापना करेगी।
 - (1क) उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित तीन निगमों का नाम, क्षेत्र तथा सीमाए चौदहवीं अनुसूची के अनुसार होंगी;
- (ख) उपचारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
- "(2) इस प्रकार स्थापित प्रत्येक निगम का निकाय निगम होगा जिसका सरकार द्वारा मलीमोंति अधिसूचित नाम होगा जिसके पास अधिनिमय के उपबंधों के अनुसार संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने के लिए शाश्वत उत्तराधिकार तथा शक्ति सहित एक सामान्य मोहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकता है तथा उस पर भी वाद चलाया जा सकता है।
- (ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-
 - "(5) पार्षदों की सीटों की कुल संख्या तथा प्रत्येक निगम में अनुस्थित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या निगम की स्थापना के समय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सुनिश्चित करेगी।"
- (घ) उपधारा (६) में.-
- (i) प्रथम परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-"प्रावधान है कि दिल्ली में सभी निगमों को किसी भी रिथित में सीटों की कुल संख्या दो सौ बहत्तर से अधिक नहीं होगी तथा प्रत्येक निगम में सीटों की संख्या का सुनिश्चियन सरकार उस निगम की स्थापना के समय करेगी।"

(ii) तीसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"यह भी प्रावधान है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने के तत्काल परचात् होने वाले प्रथम नगर निगम धुनावों के लिए संबंधित निगम की जनसंख्या वहीं मानी जायेगी जो 2001 की जनगणना में प्रकाशित और सुनिश्चित की गई थी।"

- (ड) उपधारा (७) में,-
 - (i) "केन्द्र सरकार" शब्दों के स्थान पर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (ii) "एक तिहाई" शब्दों के लिए "आघा" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (च) उपधारा (८) में,-
 - (iii) "केन्द्र सरकार" शब्द जहां भी आते हैं उनके लिए "सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा:
 - (iv) "एक तिहाई" शब्दों के लिए "आधा" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (7) **धारा 3क के लिए नयी धारा का प्रतिस्थापन**:- मूल अधिनियम की धारा 3 क के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"3क निगम के क्षेत्र का जोनों तथा वार्डों में विभाजन — (1) जैसा कि चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है नगर निगम क्षेत्र का विभाजन जोनों में तथा प्रत्येक जोन का विभाजन कई वार्डी में किया जायेगा।

(2) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी जोन या वार्ड की संख्या या नाम में परिवर्तन कर सकती है तथा इनका क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है।

40

- धारा 5 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 5 में.-
 - (क) उपधारा (1) में-
- (i) "पार्षद" शब्द के पश्चात् आने वाले शब्द "दिल्ली" के स्थान पर "निगम का क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ii) उसके अंत में आने वाले शब्द "दिल्ली" के लिए "निगम का क्षेत्र" शब्द प्रतिरथपित किये जायेंगे।
- (ख) उपधारा (२) में "केन्द्र सरकार" शब्दों के लिए "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा,
- 9 धारा 6 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 6 में प्रारंभिक वाक्यांश "निगम, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से" के स्थान पर निम्निलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:--

"निगम सरकार के पूर्वानुमोदन से"

- 10. घारा 52 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) में प्रारंभिक वाक्यांश "केन्द्र सरकार, सरकार से परामर्श के पश्चात्" के स्थान पर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 11. धारा 69 का संशोधन :--मूल अधिनियम की धारा 69 में "दिल्ली" शब्द को हटाया जायेगा।
- 12. नयी धारा 90क का सन्निवेशन:— मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात् निम्निलिखित धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्—

"90क पूर्व निगम के कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी संबंधित निगमों के अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे —

- (1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निगमों की स्थापना पर-
 - (क) पूर्व निगम के वार्ड तथा जोन स्तर के अधिकारी तथा कर्मचारी संबंधित नयी निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे।

(ख) पूर्व निगम के खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पूर्व निगम के आयुक्त के प्रशमर्श से स्थानीय निकायों के निदेशक द्वारा नयी निगमों में यिभाजित किया जायेगा।

13 **धारा 99 का संशोधन** :— मूल अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (1) इसके अन्तिम वाक्यांश में शब्द तथा कोष्ठक दिल्ली नगर पालिका निधि (इसके बाद इस अधिनियम में "नगर पालिका निधि" के रूप में संदर्भित) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा कोष्टक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् —

'धारा 3 की उपधारा (1क) (इसके बाद इस अधिनियम में नगर पालिका निधि के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निगम के क्षेत्र के नाम द्वारा'

14. धारा 100 का प्रतिस्थापन – मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् –

"100. नगर निधि भारतीय स्टेट बैंक में रखी जाए – सामान्य खाते में नगर पालिका निधि के क्रेडिट में देय सभी धनराशियां प्रत्येक निगम के आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाएगी और उक्त खाते में जमा करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक में तत्काल भुगतान की जाएगी जिसका शीर्षक "निगम की नगर निधि का सामान्य खाता होगा।"

15. **धारा 203 का संशोधन** :- मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (2) के बाद निग्नलिखित धाराए सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् --

"(3) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने से पूर्व इसके अन्तर्गत बनायी गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसार संविदा अवधि की वैधता समाप्त होने तक पहले से ही की गई संविदाएं आयुक्त द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित सम्बद्ध निगमों की और से निष्पादित की गई मान ली जाएगी।

16. **धारा 298 का संशोधन** :- मूल अधिनियम की धारा 298 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- "(1) इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित प्रत्येक निगम के क्षेत्र में पड़ने वाली सभी गलियां, जो गलियां है या किसी भी समय सार्वजनिक गलियां बन गई और खड़ण्जे, पत्थर तथा इसकी अन्य सामग्री ऐसे निगम में निहित होंगे:

"शर्त यह है कि कोई भी सार्वजनिक गली, जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन), अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के तुरन्त पहले संघ में निहित है, संबंधित निगम की सहमति से केन्द्रीय सरकार जब तक ऐसा निदेश नहीं देती है तब तक इस उपधारा के आधार पर ऐसे निगम में निहित होगी।"

- 17. धारा 479 का संशोधन :-मूल अधिनियम की धारा 479 में-
- (क) उपधारा (2) में शब्द "इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 3 (क) की उपधारा (2) और धारा 52 की उपधारा (2) और धारा 349क के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई उपविधियां" "के स्थान पर शब्द" धारा 22 के खंड (8) और 31 के अन्तर्गत बनाया प्रत्येक नियम" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :--
 - (3) इस अधिनियम की धारा 22 (8) और धारा 31 के अन्तर्गत बनाए नियमों, धारा 3क की उपधारा (2) के और धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना एवं धारा 349क के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाई उपविधि के सिवाय इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गया प्रत्येक नियम के बनने के तुरन्त बाद इसे यथाशीध विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे यह एक या दो सत्र का हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो सकता है, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि सत्र के उपरांत तुरन्त बाद सत्र के समाप्त होने से पहले या पूर्वीकत उत्तरवर्ती सत्रों से पहले यदि विधानसभा नियम, उपविधि या अधिसूचना में किसी प्रकार का आशोधन करने के लिये सहमत होती है या विधानसभा सहमत होती है कि नियम या उपविधि या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो नियम या उपविधि या अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगी / होगा या कोई प्रभावी नहीं होगी, जैसी भी स्थित हो, तथापि ऐसे आशोधन या निरसन का उक्त नियम या उपविधि या अधिसूचना के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4u

18. **धारा 481क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन** :--मूल अधिनियम की धारा 481क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"481क दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले विनियम और रखी जाने वाली उपविधियां — सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक विनियम और धारा 481 के अन्तर्गत बनाई प्रत्येक उपिथिध बनने या जारी होने के उपरान्त यथाशीध दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखवाएगी। जब विधानसभा का सत्र कुल तीस दिन का हो, जो एक सत्र या दो सत्रों में या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो सकता है और यदि सत्र के तुरन्त बाद सत्रकं समाप्त होने से पहले या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से पहले यदि विधानसभा विनियम या उपविधि में किसी प्रकार का आशोधन करने के लिए सहमत होती है या विधानसभा सहमत होती है कि विनियम या उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो विनियम या उपविधि इसके बाद केवल ऐसे आशोधन कप में प्रमावी होगी/होगा या कोई प्रभावी नहीं होगी, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे आशोधन या निरसन का उस विनियम या उपविधि के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 19. **नई धारा 484क का सन्निवेशन** :--मूल अधिनियम के अध्याय 24 में इसके शीर्षक के पश्चात् तथा धारा 485 से पूर्व निग्निलेखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :--
 - "484क (1) स्थानीय निकायों का निदेशक— सरकार स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति सरकार के कार्य में सहायता के लिए तथा निम्नलिखित कार्यों के निवेहन के लिए करेगी—
- उन सामान्य सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में निगम के उन कार्यों का समन्वय करना, जो निगम के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन है जिसके क्षेत्र में वे स्थित हैं;
- (ii) विभिन्न परिसंपत्तियों का उपयोग अन्तरिम रूप से निर्णित करना तथा निगम द्वारा दायित्यों का निर्वहन करना;
- (iii) विभिन्न पदों के लिये भर्ती नियम बनाना;
- (iv) तीन निगमों के गठन के पश्चात उत्पन्न कठिनाईयां या प्रकार्यात्मक तथा प्रशासनिक विसंगितियाँ (यदि कोई हो) को उनके आयुक्तों के परामर्श से सुलझाना

- (v) उन टोल केन्द्रों / गेटों से टोल टैक्स का संग्रहण एवं हिस्से का समन्वय करना जो उन संबंधित निगमों के नियंत्रणाधीन है जिनमें वे यथानिधारित सिद्धान्तों के आधार पर स्थित है।
- (2) स्थानीय निकायों का निदेशक निगम के कार्यों के सबंघ में सरकार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा (धारा 487 से 490 तक की धाराओं के अधीन शक्तियां नहीं) जैसा सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में तथा शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार (स्वयं द्वारा समीक्षा की शर्त सहित) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।
- (3) स्थानीय निकायों के निदेशक की सेवा शर्त तथा कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
- (4) सरकार, स्थानीय निकार्यों के निदेशक को ऐसे स्टॉफ उपलब्ध कराएगी, जैसा सरकार उपधारा (2) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे।
- 20. **नई धारा 490ख का सन्निवेशन** :- मूल अधिनियम की घारा 490क के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"490ख- सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन- सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति ऐसी शर्तों के अनुसार होगी (यदि कोई हो) जो अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट हो सकती है, इसके अधिकारियों द्वारा या आयुक्त द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग योग्य हो सकती है।"

21. **नई घारा 514ख का सन्निवेशन** :--मूल अधिनियम में धारा 514क के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी :-- "514ख. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाय- इस अधिनियम में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए, इस अधिनियम तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों के बीच प्रतिकूलता की स्थिति में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रभावी रहेंगे।

22. **चौदहवीं अनुसूची का प्रतिस्थापन** :- मूल अधिनियम में चौदहवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

> चौदहवीं अनुसूची (धारा उक देंखे)

निगमों के नाम, क्षेत्र एवं सीमाएं

कम सं0	निगम का नाम	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	जोन का नाम
1.	उत्तर दिल्ली नगर निगम	1	नरेला	
-		2	बाकनेर	
		3	अलीपुर	नरेला
_		4	बसतावरपुर	
-		5	मलस्वा जहाँगीरपुरी	
		6	मुकंदपर	
		7	बुराड़ी	
		8	झडौदा	
		9	मलकागंज	18
		10	तिमारपुर	
		11	मुखर्जी नगर जी०टी०बी० नगर	O.O. min
		12	जी०टी०बी० नगर	सिविल लाइंस
		13	धीरपुर	
		14	आदर्श नगर	
		15	सराय पीपल थला	
		16	जहाँगीरपुरी-1 समयपुर बादली	
	W	17	समयपुर बादली	
		18	लिबासपुर	
		19	भलस्या	
		20	जहाँगीरपुरी-2	
	and the same of	21	रोहिणी	
		22	रिठाला	

44,

23	बुध विहार	
24	विजय विहार	
 25	पूंठ कला	
26	साहिबाबाद दौलतपुर	
27	वेशम पुर	
28	बबाना	नरेला
29	कराला	
30	मुडका	
31	नॉगलोई जाट पश्चिम	नजफगढ
32	निलोठी	नरेला
33	प्रताप नगर	
34	निटारी	
35	किराडी सुलेगान नगर	
36	प्रेम नगर	100
37	सुल्तानपुरी पूर्व मंगोलपुरी उत्तर	रोहिणी
38	मंगोलपुरी उत्तर	
39	सुल्तानपुर माजरा सुल्तानुपरी दक्षिण	
40	सुल्तानुपरी दक्षिण	
41	गुरू हरिकिशन नगर	
42	पीरागढी	- NA
43	नॉगलोई पूर्वी	पश्चिम
 44	कुमुरूद्दीन नगर	
45	रोहिणी उतारी	Table 1
46	मंगोलपुरी पूर्वी	रोहिणी
47	मंगोलपुरी	
48	मंगोलपुरी पश्चिम	
49	रोहिणी उत्तरी	
50	रोहिणी केन्द्र	
51	रोहिणी पूर्वी	7 8
52	नहारपुर	रोहिणी
53	पीतमपुरा दक्षिणी	
 54	पीतमपुरा उत्तरी	
55	शालीमार बाग उत्तरी	
56	शालीमार बाग दक्षिणी	
57	पश्चिम विहार दक्षिणी	
58	पश्चिम विहार उत्तरी	पश्चिम
59	रानीबाग	
60	सरस्वती विहार	-
-	त्रीनगर	
61		
62	रामपुरा कोहाट एंकलेव	-
63	शकरपुर	रोहिणी

40,

	65	नीमड़ी कालोनी	
	66	सावन पार्क	
	67	वजीरपुर	1 3
	68	अशोक विहार	
	69	कमला नगर	
	70	राणा प्रताप बाग	
	71	संगम पार्क	सिविल लाइंस
	72	मॉडल टाउन	
	73	शास्त्री नगर	एस०पी० जोन
	74	इन्द्र लोक कालोनी	
	75	किशनगंज	करोल बाग जोन
	76	डिप्टी गज	
	77	कश्मीरी गेट	
	78	मजनू का टीला	सिविल लाइंस
	79	जामा मस्जिद	
	80	चॉदनी चौक	
	81	मिन्टो रोड	सिटी
	82	क्चा पंडित	
	83	बाजार सीताराम	
	84	त्वीमान गेट	
	85	ईंदगाह रोड	एस०पी० जोन
	86	बल्लीमारान	सिटी
	87	राम नगर	
	88	कसाबपुरा	
	89	पहाडगंज	स०पी० जोन
	90	मॉडल बस्ती	
	91	करोल बाग	
	92	देव नगर	करोल बाग जोन
	93	बलजीत नगर	
	94	पश्चिमी पटेल नगर	- 10 14
	95	पूर्वी पटेल नगर	करोल बाग जोन
	96	न्यू रणजीत नगर	
-	97	कीर्ति नगर	
	98	मानसरोवर गार्डन	
	99	मोती नगर	पश्चिमी
	100	कर्मपुरा	
	149	राजिन्दर नगर	
	150	पुसा	
	151	इन्द्रपुरी	करोलबाग जोन
	152	नारायणा	
दक्षिण । नगर नि	दिल्ली 101	राजा गार्डन	



	102	रघुबीर नगर	
	103	पंजाबी बाग	
	104	मादीपुर	
	105	राजौरी गार्डन	पश्चिमी
	106	टैगोर गार्डन	भारयमा
	107	विष्णु गार्डन	
	108	ख्याला	
	109	जनकपुरी उत्तर	
	110	नागल राया	-
	111	हरी नगर	
	112	सुभाष नगर	-
	113	मालवीय नगर	
	114	तिलक नगर	-
	115	मेजर भूपिन्दर नगर	पश्चिमी
	116	विकासपुरी पूर्वी	113.41
	117	जनकपुरी पश्चिमी	-
-	118	जनकपुरी दक्षिणी	-
	119	मिलाप नगर	-
	120	सीतापुरी	नजफगढ
	121	कवर सिंह नगर	20145-10
	122	हस्तसाल	पश्चिमी
	123	विकासपुरी	નારવના
	124	विकास नगर	
	125	मोहन गार्डन	
	126	नवादा	पश्चिमी
	127	उत्तम नगर	
	128	बिंदापुर	
	129	डाबरी	
	130	मंगलापुरी	-
	131	सागरपुर	
-	132	सागरपुर पश्चिमी	
	133	छावला	
	134	नगली सकरावती	नजफगढ
	135	ककरौला	10000000
	136	मटियाला	
	137	रोशनपुरा	-
	138	नजफगढ	
	139	दियाऊं कला	
	140	खंडा	1
	141	बिजवासन	-
	142	राज नगर	
	143	कापसडेहा	

3- 44

	144	महिपालपुर	नजफगढ़
	145	पालम	
	146	साध नगर	
	147	महावीर एकलेव	
	148	मधु विहार	
	153	दरियागंज	
	154	निजामुद्दीन	सिटी
	155	लाजपत नगर	
	156	भोगल	
	157	कस्तूरबा नगर	केन्द्रीय
	158	कोटला मुबारकपुर	
	159	एन्डरयूज गंज	
	160	अमर कालोनी	
	161	मालवीय नगर	
4	162	हौजखास गाँव	1
	163	सफदरजग एकलेव	
100	164	हीजखास	
	165	वसंत विहार	
	166	मुनिरका	दक्षिणी
	167	आर०के० पुरम	
	168	नानक पुरा	
	169	लाडो सराय	
	170	महरौली	
	171	वसंत कुंज	
-	172	किशनगढ	नजफगढ
	173	सयैद उल अजायव	
	174	छतरपुर	
	175	आया नगर	
	176	भाटी	
	177	सगम विहार	
	178	देवली	
	179	टिगरी	
	180	दक्षिण पुरी एक्सटेंशन	
	181	खानपुर	दक्षिणी
	182	अंबेडकर नगर	
	183	मदनगीर	
	184	पुष्प विहार	
	185	तुमलकाबाद एक्सटेशन	
	186	संगम विहार पश्चिमी	
	187	सगम विहार केन्द्रीय	केन्द्रीय
	188	सगम विहार पूर्वी	
	189	चिसग दिल्ली	दक्षिणी

-14-

		190	चितरंजन पार्क	केन्द्रीय
		191	शाहपुर जट	दक्षिणी
		192	ग्रेटर कैलाश-1	
		193	श्रीनिवास पुरी	
		194	ईस्ट ऑफ कैलाश	
		195	गोविन्द पुरी	
		196	कालकाजी	
		197	ं तुगलकाबाद	
		198	पुल पेहलाद	
		199	तेह खड	
		200	हरकेशनगर	
		201	जैतपुर	केन्द्रीय
		202	मीठा पुर	
		203	बदरपुर	
		204	मोलडबंद	
		205	जाकिर नगर	
		206	ओखला	
	The state of the s	207	मदनपुर खादर	
		208	सरिता विहार	
3	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	209	मयूर विहार फेज-1	
1000		210	दल्लृपुरा	
		211	त्रिलोकपुरी	
		212	न्यू अशोक नगर	
		213	कल्याण पुरी	शाहदरा दक्षिणी
		214	खिचडीपुर	
		215	कोंडली	
		216	घडोली	
		217	विनोद नगर	
		218	मंडावली	
		219	मयूर विहार फेज-2	
		220	पटपडगज	
		221	किशन कुंज	
How Ho		222	लक्ष्मी नगर	
		223	शकरपुर	
		224	पाडव नगर	
		225	आनंद विहार	
		226	विश्वास नगर	maan abaa
		227	आई०पी० एक्सटेंशन	शाहदरा दक्षिणी
		228	प्रीत विहार	
		229	कृष्णा नगर	
		230	गीता कालोनी	

	231	घोडली	
	232	अनारकली	
	233	धारा पुरा	
	234	गाँधी नगर	
	235	आजाद नगर	
	236	रघुबरपुरा	
	237	शाहदरा	
	238	झिलमिल	
	239	विवेक विहार	
	240	दिलशाद कालोनी	
	241	दिलशाद गार्डन	
	242 .	न्यू सीमापुरी	
	243	नंद नगरी	
	244	सुंदर नगरी	
	245	दुर्गापुरी	The state of the s
	246	अशोक नगर	शाहदरा उत्तरी
	247	राम नगर	
	248	चेलकम कालोनी	
	249	चौहान बागर	
	250	जाफराबाद	
	251	न्यू उस्मानपुर	
	252	मीजपुर	
	253	भजनपुरा	
	254	ब्रहमपुरी	
	255	घोंडा	
	256	यमुना विहार	1
	257	सुभाष मोहल्ला	
	258	कर्दमपुरी	
	259	जनता कालोनी	
	260	बाबरपुर	
	261	जीवनपुर	
	262	गोकलपुर	
	-	सबोली	
	.263	हर्ष विहार	शाहदश उत्तरी
	264	शिव विहार	HIGHT OWN
	265	करावल नगर पूर्वी	
	266	जेना जिला	
Market Land	267	नेहरू विहार	
	- 268	मुस्तफाबाद	
	269	खजूरी खास	
	270	, तुखीम पुर	
	271	करावल नगर पश्चिमी	-
	272	सोनिया विहार	

्रार्न सहरावर

(तकन सहरावत) अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विद्यायी कार्य)